समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 73/2018-19 (पथ) 1539/भूअ0 गोड्डा दिनांक :– 6/12/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **डुमरिया खुर्द, थाना नं0– 465, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **नयानगर से हनवारा पथ (बिहार बॉर्डर) भाया मिल्की, परसा, नरोत्तमपुर, डुमरिया एवं रामकोल में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई सोशल एक्शन फोर रूरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुर्रम, रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा– **डुमरिया खुर्द, थाना नं0– 465, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.070** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0.004	खोखा प्रसाद सिंह, पिता– स्व0 विसेश्वर मंडल, सा0– डुमरिया खुर्द				
2	43	315	रैयती	बाडी 1	0.013	0.004	रामलाल सिंह, पिता– स्व0 विसेश्वर मंडल, सा0– डुमरिया खुर्द	99	पथ	316	313
3						0.005	मनोज मंडल, पिता– स्व0 मुकुद प्रसाद सिंह, सा0– डुमरिया खुर्द				
4	7	316	रैयती	बाडी 1	0.003	0.003	मुस्तावाहा	315	पथ	317	315
5						0.003	हरि रविदास, पिता– स्व0 चौधरी रविदास, सा0– डुमरिया खुर्द				
6	20	317	रैयती	बाडी 1	0.006	0.0015	नरेश रविदास, पिता– स्व0 भौथरी रविदास, सा0– डुमरिया खुर्द	300	पथ	323	316
7						0.0015	गणेश रविदास, पिता– स्व0 भौथरी रविदास, सा0– डुमरिया खुर्द				
8	7	465	रैयती	बाडी 1	0.003	0.003	मुस्तावाहा	464	पथ	453	469
9						0.0047	मो0 बदरूद्दीन, पिता– स्व0 शेख अमीरूद्दीन, सा0– डुमरिया खुर्द				
10	46	453	रैयती	बाडी 1	0.019	0.0047	मो0 खलील अहमद, पिता– स्व0 शेख अमीरूद्दीन, सा0– डुमरिया खुर्द	454	पथ	452	465
11						0.0047	जुल्फकार भुट्टू, पिता– स्व0 सलीम, सा0 डुमरिया खुर्द				

12						0.0011	मो0 हसिम आलम, पिता– स्व0 हनिफ, सा0 डुमरिया खुर्द				
13						0.0011	मो0 खुसतार आलम, पिता– स्व0 हनिफ, सा0 डुमरिया खुर्द				
14						0.0011	मो0 कयुम, पिता– स्व0 हनिफ, सा0 डुमरिया खुर्द				
15						0.0016	मो0 सज्जाद, पिता– स्व0 हनिफ, सा0 डुमरिया खुर्द				
16	4	427	रैयती	बाडी 1	0.010	0.005	महराज पासवान, पिता– स्व0 कार्तिक हाजरा, सा0 डुमरिया खुर्द	पथ	436	428	403
17						0.005	मुसाय पासवान, पिता– स्व0 गनपत हाजरा, सा0 डुमरिया खुर्द				
18	48	428	रैयती	आमबाग	0.012	0.003	बुल्ली महतो, पिता– स्व0 सुलफी मंडल, सा0 डुमरिया खुर्द	पथ	430	429	403
19						0.003	बिरेन्द महतो, पिता– स्व0 सुलफी मंडल, सा0 डुमरिया खुर्द				
20						0.003	दुलारी देवी, पति– स्व0 सुरेंन्द्र महतो, सा0 डुमरिया खुर्द				
21						0.003	मंजुला देवी, पति– स्व0 धिरेंन्द्र महतो, सा0 डुमरिया खुर्द				
22	39	429	रैयती	आमबाग	0.004	0.004	योगेन्द्र मंडल, पिता– स्व0 सौति मंडल, सा0 डुमरिया खुर्द	पथ	430	448	4274
				कुल रकवा :–	0.070	0.070	एकड़				

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

3/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1539/भू0अ0 दिनांक :- 6/12/18।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

3/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1539/भू0अ0 दिनांक :- 6/12/18।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

3/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1539/भूअ0 दिनांक 6/12/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।